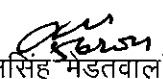


आदेश

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय, राज्य सरकार की अधिसूचना कर्मोक्त प. 1 (1) न्याय/2021 दिनांक 26.05.2021 द्वारा निम्नलिखित नवसृजित अपर जिला न्यायाधीश न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उनके नाम के आगे अंकित सेशन न्यायालयों की अधिकारिता का प्रयोग करने हेतु एतद् द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त करता है:-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	सेशन न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
1	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नसीराबाद	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर	नसीराबाद
2	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कटूमर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर	कटूमर
3	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, वैर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर	वैर
4	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डूंगरगढ	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर	डूंगरगढ
5	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नैनवा	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी	नैनवा
6	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बैंगू	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ	बैंगू
7	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सरदारशहर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरू	सरदारशहर
8	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सादुलशहर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर	सादुलशहर
9	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 2 अनूपगढ	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर	अनूपगढ
10	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर	जालोर
11	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 2, गंगापुरसिटी	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाईमाधोपुर	गंगापुरसिटी
12	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 2, नीम का थाना	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर	नीम का थाना
13	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिरोही	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिरोही	सिरोही

आदेशानुसार,


(निर्मलसिंह मेड़तवाल)
रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

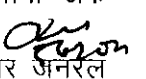
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

कर्मोक्त - सामान्य/II/09/2021/1270

दिनांक5...../6/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
2. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
4. संबंधित न्यायालय।
5. संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट।
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।


रजिस्ट्रार जनरल